संख्या:प्रशा./ए/2023-24/391

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश, शिमला

दिनांक: 05-12-2023

कार्यालय आदेश

यह पाया गया है कि कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा केंद्रीय सामान्य सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के अंतर्गत जो अनुमति/सूचना हेतु पत्र प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत किये जाते हैं, वे नियमों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नहीं होते हैं।**ऐसे पत्र कई बार तो महीनों या वर्षों की देरी के** साथ कार्योत्तर अनुमति/सूचना की स्वीकृती के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं जिसे प्रधान महालेखाकार ने गंभीरता से लिया है।

अत: इस कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में केंद्रीय सामान्य सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियमों के अंतर्गत अनुमति/सूचना स्वीकृती हेतू पत्राचार करते समय निर्धारित समय सीमा का पूर्ण रूप से पालन करें । भविष्य में नियमों कि अवहेलना करते पाए जाने पर किसी भी प्रकार कि कार्योत्तर अनुमति/सूचना कि स्वीकृती नहीं दी जाएगी एवं नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार के दिनांक 06.11.2023 के आदेश मिसिल संख्या प्रशा./ई एफ-1/अनु./CCS(आच.) नि./23-24 के टिप्पणी संख्या 63 पर ।

SUSHIL KUMAR
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL

पृष्ठां. संख्या:- प्रशा./ई एफ-1/अनु./CCS(आच.) नि./23-24/3205-10 दिनांक : 05-12-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक़दारी), शिमला।
2. निजी सहायक, उप-महालेखाकार (प्रशासन)।
3. निजी सहायक, उप-महालेखाकार (पेंशन, निधि, लेखे एवं वी एल सी)।
4. कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी (मंडलीय लेखाकार संवर्गों सहित)।
5. कार्यालय वेबसाइट एवं सूचना पट्टिका।
6. 'ए' क्रम फाइल प्रशासन अनुभाग।

SUSHIL KUMAR
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL